**84. एक युक्तियुक्त मूल्य पर विक्रय किये गये तथा परिदान किये गये माल के मूल्य की वसूली के लिए वाद।**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

**ऊपर नामित वादी निम्नलिखित रूप में सादर निवेदन करता है -**

1. तारीख ............. ............. को वादी ने प्रतिवादी को (भवन फर्नीचर की विविध सामग्रियां) बेचा एवं परिदान किया लेकिन कोई अभिव्यक्त करार इस बारे में नहीं किया गया।
2. माल युक्तियुक्त रूप से ............. ............. रुपये के योग्य था।
3. प्रतिवादी ने धन का संदाय नहीं किया है।
4. तथ्य उस समय को प्रदर्शित कर रहे जब वाद हेतुक पैदा हुआ और यह कि न्यायालय को अधिकारिता है।
5. अधिकारिता के प्रयोजनार्थ वाद की विषय वस्तु का मूल्य ................. रुपये है तथा न्यायालय फीस के प्रयोजनार्थ ............. ............. रुपये है।

**दावाकृत अनुतोषः**

वादी प्रतिवादी को बेचे गये माल के उचित मूल्य के रूप में ............. ............. रुपये तथा उस रकम का दावा करता है जो यह न्यायालय उचित एवं उपयुक्त समझती है, वाद के खर्चे के साथ प्रतिवादी के विरुद्ध डिक्री दी जा सकेगी।

वादी

जरिये अधिवक्ता

**सत्यापन**

मैं ऊपर नामित वादी, एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ, कि वादपत्र के पैरा ............. ...... ...... ........... .... .. लगायत .................................. की अन्तर्वस्तु मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और ................................... पैरा के वे सभी तथा उसका.......... उस विधिक सलाह पर आधारित है। जिसे मैं सत्य होने का विश्वास करता हूँ।

मैं इस दिनांक ....... को सत्यापित किया गया।

वादी